

न्यायालय- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,चतुर्थ/
विशेष न्यायाधीश, गैंगेस्टर अधि०, औरैया।

उपस्थित- महेश चन्द्र वर्मा (एच०जे०एस)

विशेष सत्र परीक्षण सं०-10/2018

राज्य बनाम सौरभ उर्फ बाबा यादव आदि

मु०अ०सं०-128/2017

धारा-3(1) यू०पी० गैंगेस्टर अधि०

थाना- ऐरवाकटरा, जिला औरैया।

दिनांक:-04.09.2019

आरोप

मैं, महेश चन्द्र वर्मा, विशेष न्यायाधीश/उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम। औरैया, आप अभियुक्तगण सौरभ उर्फ बाबा यादव, सर्वेश कुमार बघेल, अरुण कुमार उर्फ अन्ना यादव तथा मोहित उर्फ कल्लू को निम्न प्रकार से आरोपित करता हूँ।

उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, के अन्तर्गत एक गिरोह बनाया गया, जिसका उद्देश्य विधि विरुद्ध तरीके से अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करना, जनता को आतंकित करना तथा समाज विरोधी क्रिया कलाप करना है। आप तथा आपके साथियों ने भा०द०सं० के अध्याय 16,17 व 22 के अन्तर्गत परिभाषित निम्न अपराध किये हैं:-

अभियुक्त सौरभ उर्फ बाबा यादव:-

1. मु०अ०सं०-218/2016 धारा-392/411 भा०द०सं०,1860 थाना- ऐरवाकटरा, जिला- औरैया।
2. मु०अ०सं०-237/2016 धारा-307 भा०द०सं०,1860 थाना- ऐरवाकटरा, जिला- औरैया।
3. मु०अ०सं०-242/2016 धारा-411/413/120B भा०द०सं०,1860, 41/102 दं०प्र०सं० थाना- ऐरवाकटरा, जिला- औरैया।

अभियुक्त सर्वेश कुमार बघेल:-

1. मु०अ०सं०-218/2016 धारा-392/411 भा०द०सं०,1860 थाना- ऐरवाकटरा, जिला- औरैया।
2. मु०अ०सं०-237/2016 धारा-307 भा०द०सं०,1860 थाना- ऐरवाकटरा, जिला- औरैया।
3. मु०अ०सं०-242/2016 धारा-411/413/120B भा०द०सं०,1860, 41/102 दं०प्र०सं० थाना- ऐरवाकटरा, जिला- औरैया।

अभियुक्त अरुण कुमार उर्फ अन्ना यादव-

1. मु०अ०सं०-218/2016 धारा-392/411 भा०द०सं०,1860 थाना- ऐरवाकटरा, जिला- औरैया।

2. मु0अ0सं0-237/2016 धारा-307 भा०द०सं०,1860 थाना- ऐरवाकटरा, जिला- औरैया।

3. मु0अ0सं0-242/2016 धारा-411/413/120B भा०द०सं०,1860, 41/102 दं०प्र०सं० थाना- ऐरवाकटरा, जिला- औरैया।

अभियुक्त मोहित उर्फ कल्लू:-

1. मु0अ0सं0-218/2016 धारा-392/411 भा०द०सं०,1860 थाना- ऐरवाकटरा, जिला- औरैया।

2. मु0अ0सं0-237/2016 धारा-307 भा०द०सं०,1860 थाना- ऐरवाकटरा, जिला- औरैया।

3. मु0अ0सं0-242/2016 धारा-411/413/120B भा०द०सं०,1860, 41/102 दं०प्र०सं० थाना- ऐरवाकटरा, जिला- औरैया।

इस प्रकार आप लोगों ने उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम-1986 की धारा-3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक-04.09.2019

(महेश चन्द्र वर्मा)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,चतुर्थ
विशेष न्यायाधीश/गैंगेस्टर अधिनियम,औरैया

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण की मांग की।

दिनांक-04.09.2019

(महेश चन्द्र वर्मा)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,चतुर्थ
विशेष न्यायाधीश/गैंगेस्टर अधिनियम,औरैया

न्यायालय- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,चतुर्थ/
विशेष न्यायाधीश, गैंगेस्टर अधि०, औरैया।

उपस्थित- महेश चन्द्र वर्मा (एच०जे०एस)

विशेष सत्र परीक्षण सं०-10/2018

राज्य बनाम सौरभ उर्फ बाबा यादव आदि

मु०अ०सं०-128/2017

धारा-3(1) यू०पी० गैंगेस्टर अधि०

थाना- ऐरवाकटरा, जिला औरैया।

दिनांक:-04.09.2019

विद्वान अभियोजन अधिकारी देशराज सिंह तथा अभियुक्तगण सर्वेश कुमार बघेल, अरुण कुमार उर्फ अन्ना यादव तथा मोहित उर्फ कल्लू उपस्थित तथा अभियुक्त सौरभ उर्फ बाबा यादव जिला कारागार गौतम बुद्ध नगर से उपस्थित। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को आरोप विरचित करने के बिन्दु पर सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से अभियुक्तगण सौरभ उर्फ बाबा यादव, सर्वेश कुमार बघेल, अरुण कुमार उर्फ अन्ना यादव तथा मोहित उर्फ कल्लू ने अन्तर्गत धारा 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम,1986 दण्डनीय अपराध किया है। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त पर उक्त धारा में आरोप विरचित किये जाए।

दिनांक-04.09.2019

(महेश चन्द्र वर्मा)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,चतुर्थ

विशेष न्यायाधीश/गैंगेस्टर अधिनियम,औरैया

अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये एवं आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया और अपने विचारण की मांग की ।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक-04.10.2019 को पेश हो। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-01 शिव कुमार व पी०डब्लू०-02 दीवान सिंह जरिये समन तलब हो।

दिनांक-04.09.2019

(महेश चन्द्र वर्मा)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,चतुर्थ

विशेष न्यायाधीश/गैंगेस्टर अधिनियम,औरैया